



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939

No. 326]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) संशोधन विनियम, 2017

(2017 का सं. 1)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

सं. एल-3(4)/रि-एल.पी./2017-18/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 27 के खंड (ख) और धारा 46 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) संशोधन विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2009 में,—

(1) विनियम 2 में,—

(क) उपविनियम (1) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "आवेदक" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो किसी उत्पादक संघ का सदस्य है या था और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यष्टि भी है, जो उत्पादक संघ में

किसी उद्यम की ओर से संलिप्त रहा है और जो आयोग को निम्नतर शास्ति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करता है ;;

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(छक) "पक्षकार" के अंतर्गत अधिनियम की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और खंड (झ) में परिभाषित उद्यम या व्यक्ति भी है, जिसके विरुद्ध जांच या कार्यवाही संस्थित की गई है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या कोई कानूनी प्राधिकारी भी होगा और साथ ही कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति भी होगा;'

(ख) उपविनियम (2) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(2) विनियम 3 में,—

(क) उपविनियम (1) के खंड (ख) में, "की उपधारा (3) के अधीन उल्लंघन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "के उपबंधों का अतिलंघन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) जहां आवेदक कोई उद्यम है, वहां वह ऐसे व्यष्टियों के नाम उपलब्ध कराएगा, जो उसकी ओर से उत्पादक संगम में संलिप्त हैं और जिनके लिए ऐसे उद्यम द्वारा निम्नतर शास्ति की ईप्सा की गई है।";

(3) विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) निम्नतर शास्ति का मंजूर किया जाना.—विनियम 2 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, विनियम 3 के उपविनियम (1क) में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि को, निम्नलिखित रीति में अधिनियम की धारा 27 के खंड (ख) और धारा 48 के अधीन उद्घृणीय शास्ति से निम्नतर शास्ति मंजूर की जाएगी, जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए, अर्थात् :—

(क) विनियम 3 के उपविनियम (1क) में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि को शास्ति में एक सौ प्रतिशत तक या उसके बराबर की कमी के फायदे को मंजूर किया जा सकेगा, यदि आवेदक, पहला ऐसा व्यक्ति है जो किसी उत्पादक संघ के साक्ष्यों को प्रस्तुत करके ऐसा महत्वपूर्ण प्रकटन करता है, जिससे आयोग किसी ऐसे उत्पादक संघ की विद्यमानता के संबंध में प्रथम दृष्टया राय बनाने में समर्थ होता है, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन किया है और आयोग के पास आवेदन किए जाने के समय ऐसी राय बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था :

परंतु आयोग विनियम 3 के उपविनियम (1क) में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि को शास्ति में एक सौ प्रतिशत तक या उसके बराबर की कमी के फायदे को मंजूर कर सकेगा, यदि आवेदक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करके, जो ऐसे किसी मामले में, जो अन्वेषणाधीन है, किसी उत्पादक संघ द्वारा अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन को स्थापित करता है, महत्वपूर्ण प्रकटन करने वाला पहला व्यक्ति है और आयोग या महानिदेशक के पास आवेदन किए जाने के समय ऐसे उल्लंघन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था ।

(ख) ऐसे आवेदकों को भी, जो प्रथम आवेदक के पश्चातवर्ती हैं, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करके, जो आयोग की राय में, ऐसे उत्पादक संघ की विद्यमानता को स्थापित करने के लिए, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के कब्जे में पहले से मौजूद साक्ष्य में सारवान मूल्य वृद्धि उपलब्ध कराते हैं, प्रकटन किए जाने पर शास्ति में कमी करने का फायदा मंजूर किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण.—इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "मूल्य वृद्धि" से वह विस्तार अभिप्रेत है, जिस तक उपलब्ध कराया गया साक्ष्य, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के ऐसे उत्पादक संघ की, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, विद्यमानता को स्थापित करने के सामर्थ्य में वृद्धि करता है।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट धनीय शास्ति में कमी निम्नलिखित अनुक्रम में होगी,—

(i) विनियम 3 के उपविनियम (1क) में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि को, जिसे पूर्विकता प्रास्थिति में द्वितीय के रूप में चिह्नित किया गया है, उद्गहणीय पूर्ण शास्ति के पचास प्रतिशत तक या उसके बराबर धनीय शास्ति में कमी मंजूर की जा सकेगी, और

(ii) विनियम 3 के उपविनियम (1क) में उल्लिखित आवेदक और व्यष्टि को, जिसे पूर्विकता प्रास्थिति में तृतीय या पश्चातवर्ती के रूप में चिह्नित किया गया है, उद्गहणीय पूर्ण शास्ति के तीस प्रतिशत तक या उसके बराबर धनीय शास्ति में कमी मंजूर की जा सकेगी।";

(4) विनियम 5 में,—

(क) उपविनियम (1) में, "तीन कार्य दिवसों के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "पांच कार्य दिवसों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (4) में, "प्रथम संपर्क के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "उपविनियम (2) के अधीन निदेश की संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(5) विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. गोपनीयता.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग या महानिदेशक निम्नलिखित को गोपनीय समझेगा,—

(क) आवेदक की पहचान ; और

(ख) विनियम 5 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य :

परंतु आवेदक की पहचान या ऐसी सूचना, दस्तावेजों या साक्ष्य को प्रकट किया जा सकेगा, यदि,—

(i) प्रकटन विधि द्वारा अपेक्षित हो ; या

(ii) आवेदक ने लिखित में ऐसे प्रकटन के प्रति सहमति दी हो ; या

(iii) आवेदक द्वारा कोई लोक प्रकटन किया गया हो :

परंतु यह और कि जहां महानिदेशक, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी पक्षकार को विनियम 5 के अधीन प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य प्रकट करना आवश्यक समझता है और आवेदक ने ऐसे प्रकटन के लिए सहमति नहीं दी है, वहां महानिदेशक, लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके और आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे पक्षकार को ऐसी सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य प्रकट कर सकेगा।";

(6) विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क. दस्तावेजों का निरीक्षण.—विनियम 6 के अधीन गोपनीयता के होते हुए भी, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 50 के उपबंध, जहां तक उनका विस्तार निरीक्षण से संबंधित है,

महानिदेशक के निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्रति को आयोग द्वारा संबद्ध पक्षकार को अग्रेषित करने के पश्चात् विनियम 5 के अधीन आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य के गैर-गोपनीय पाठ को लागू हो जाएंगे:

परंतु ऐसा पक्षकार इस प्रकार प्राप्त सूचना, दस्तावेजों और साक्ष्य को अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए के सिवाय प्रकट नहीं करेगा।";

(7) अनुसूची के खंड (छ) में, "उत्पादक संघ से प्रभावित कारबार" शब्दों के स्थान पर, "उत्पादक संघ से भारत में प्रभावित कारबार" शब्द रखे जाएंगे।

स्मिता झिंगरन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./193/17]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. एल-3(4)/रि-एल.पी./2009-10/सीसीआई, तारीख 13 अगस्त, 2009 में प्रकाशित किए गए थे।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

The Competition Commission of India (Lesser Penalty) Amendment Regulations, 2017

(No. 1 of 2017)

New Delhi, the 8th August, 2017

No. L-3(4)/Reg-L.P./2017-18/CCI.—In exercise of the powers conferred by section 64, read with section 46 and clause (b) of section 27 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to amend the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009,—

(1) in regulation 2,—

(a) in sub-regulation (1),—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(b) “applicant” means an enterprise, as defined in clause (h) of section 2 of the Act, who is or was a member of a cartel and includes an individual who has been involved in the cartel on behalf of an enterprise, and submits an application for lesser penalty to the Commission;’;

(ii) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(ga) “Party” includes an enterprise or person defined in clauses (h) and (l) of section 2 of the Act, respectively, against whom inquiry or proceeding is instituted and shall include the Central Government, any State Government or any statutory authority and shall also include any person permitted to join the proceedings;’;

(b) in sub-regulation (2), for the words, figures and brackets, “the Companies Act, 1956 (1 of 1956)”, the words, figures and brackets “the Companies Act, 2013 (18 of 2013)” shall be substituted;

(2) in regulation 3,—

(a) in sub-regulation (1), in clause (b), for the words, brackets and figures, “violation under sub-section (3)”, the words “contravention of the provisions” shall be substituted;

(b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“ (1A) Where the applicant is an enterprise, it shall also provide the names of individuals who have been involved in the cartel on its behalf and for whom lesser penalty is sought by such an enterprise.”;

(3) for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:—

“4. Grant of lesser penalty.—Subject to the conditions laid down in regulation 3, the applicant and individual mentioned in sub-regulation (1A) of regulation 3 shall be granted benefit of lesser penalty than leviable under clause (b) of section 27 and section 48 of the Act, as the Commission may decide, in the following manner, namely;—

(a) The applicant and individual mentioned in sub-regulation (1A) of regulation 3 may be granted benefit of reduction in penalty upto or equal to one hundred percent, if the applicant is the first to make a vital disclosure by submitting evidence of a cartel, enabling the Commission to form a prima-facie opinion regarding the existence of a cartel which is alleged to have contravened the provisions of section 3 of the Act and the Commission did not, at the time of application, have sufficient evidence to form such an opinion:

Provided that the Commission may also grant benefit of reduction in penalty up to or equal to one hundred per cent, to the applicant and individual mentioned in sub-regulation (1A) of regulation 3, if the applicant is the first to make a vital disclosure by submitting such evidence which establishes the contravention of the provisions of section 3 of the Act, by a cartel, in a matter under investigation and the Commission, or the Director General did not, at the time of application, have sufficient evidence to establish such a contravention.

(b) The applicants who are subsequent to the first applicant may also be granted benefit of reduction in penalty on making a disclosure by submitting evidence, which in the opinion of the Commission, may provide significant added value to the evidence already in possession of the Commission or the Director General, as the case may be, to establish the existence of the cartel, which is alleged to have contravened the provisions of section 3 of the Act.

Explanation.—For the purposes of these regulations, “added value” means the extent to which the evidence provided enhances the ability of the Commission or the Director General, as the case may be, to establish the existence of a cartel, which is alleged to have contravened the provisions of section 3 of the Act.

(c) The reduction in monetary penalty referred to in clause (b) shall be in the following order—

(i) the applicant and individual mentioned in sub-regulation (1A) of regulation 3 marked as second in the priority status may be granted reduction of monetary penalty upto or equal to fifty percent of the full penalty leviable; and

(ii) the applicant and individual mentioned in sub-regulation (1A) of regulation 3 marked as third or subsequent in the priority status may be granted reduction of penalty up to or equal to thirty percent of the full penalty leviable.”;

(4) in regulation 5,—

(a) in sub-regulation (1), for the words, “within three working days”, the words “within five working days” shall be substituted;

(b) in sub-regulation (4), for the words, “within a period of fifteen days of the first contact”, the words, brackets and figures “within a period of fifteen days from the date of communication of direction under sub-regulation (2)” shall be substituted;

(5) for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:—

“6. Confidentiality.—Notwithstanding anything contained in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the Commission or the Director General shall treat as confidential,—

- (a) the identity of the applicant; and
- (b) the information, documents and evidence furnished by the applicant under regulation 5:

Provided that the identity of the applicant or such information or documents or evidence may be disclosed if,—

- (i) the disclosure is required by Law; or
- (ii) the applicant has agreed to such disclosure in writing; or
- (iii) there has been a public disclosure by the applicant:

Provided further that where the Director General deems it necessary to disclose the information, documents and evidence furnished under Regulation 5 to any party for the purposes of investigation and the applicant has not agreed to such disclosure, the Director General may disclose such information, documents and evidence to such party for reasons to be recorded in writing and after taking prior approval of the Commission.”;

(6) after regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely:—

“6A. Inspection of documents.—Notwithstanding the confidentiality under regulation 6, the provisions of sub-regulations (1), (3) and (4) of regulation 37 and the provisions of regulation 50 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, to the extent they relate to inspection, shall become applicable to the non-confidential version of the information, documents and evidence furnished by the applicant under regulation 5, after the Commission forwards a copy of the report containing the findings of the Director General to the party concerned:

Provided that such party shall not disclose the information, documents and evidence so obtained other than for the proceedings under the Act.”;

(7) in the Schedule, in clause (g), for the words, “affected by the alleged cartel”, the words “affected in India by the alleged cartel” shall be substituted.

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./193/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. L-3(4)/Reg-L.P./2009-10/CCI, dated the 13th day of August, 2009.